

12/3/2022

पञ्जाबली आज राष्ट्रीय लोक अदालत
में पेश हुई। वारी वकील ने प्राथम
पक्ष बाबत नियम 01 अर्थात् - 10 सी.
पी.सी. का प्रस्तुत किया। जिस पर
वारी वकील की कहल सुनी गयी।
वारी वकील द्वारा प्रस्तुत प्राथम पक्ष
अन्तर्गत सुझाव। नियम 10 सी.पी.सी.
नुसार किया जाकर नए वकीलदार
किया जा रहे हैं। वारी वकील के पक्ष
के नाम के बारे में नए वकीलदार
किया जा रहे हैं। प्राथम पक्ष
नए जा रही है। वारी वकील

ने संशोधित कांड शीर्षक प्रस्तुत
किया जो शामिल किया है।

[Signature]
सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलास

पञ्जाबली पुनः पेश हुई पञ्जाबली
के लक्ष्मीलाल डार बिलास की संलग्न के
जकाक काय प्राल्त हुआ जो शामिल
किया है। पञ्जाबली का हथियार
केवलोकन किया गया। कांडी के अधिकार
ने कांड लिखके लक्ष्मीलाल डार को
लक्ष्मीलाल डार बिलास के जकाक काय का
केवलोकन किया जिसके न्यायस्थान के
गए आरोप लिखे गये हैं लक्ष्मीलाल
डार का बिलास नं. 5 के दिन
खण्ड नं. 3769 के का 0.2265 के
खण्ड नं. के जकाक डार पलनी-87
काय का के लक्ष्मीलाल डार
पलनी इन्डस्ट्रियल एरिया काय का के काय
का राजस्व रेकॉर्ड में दूसरी किया
जाके। धारणा हेतु लक्ष्मीलाल डार बिलास
के लक्ष्मीलाल डार है। पञ्जाबली के काय
अनुसार डार नं. के काय का के काय
धारणा दफ्तार है।

[Signature]

[Signature]
अध्यक्ष
बिलास विधिक सेवा
बिलास

[Signature]
सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलास